दूरभाष / Phone : 2810800
फैक्स / Fax : 0512-2810800
ई-पर्यावरण
...om : Paryavaran

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय :
५२४३, सद्भावना नगर, आवास विकास फेज-३, कल्याणपुर, कानपुर-२०८ ०१७

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

REGIONAL OFFICE :
5243, Sadbhawna Nagar, Awas Vikas Phase-3, Kalyanpur, Kanpur-208 017

पत्रांक 566/NOC-72/17 दिनांक 2/6/17

सेवा में,

श्री धनंजय तिवारी,
मै0 रतन होम्स प्रा0 लि0,
आराजी सं0 862, 864, 880, 881, 882, 883, बगाईधी कछार, परगना-जाजमऊ, जनपद-
कानपुर।

विषयः पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से आवासीय/कामर्शियल भूखण्ड विकसित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक 09-02-2017 का सन्दर्भ लें (आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि आवासीय/कामर्शियल भूखण्ड परियोजना को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1 अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है:-

क	स्थल	:- आराजी सं0 862, 864, 880, 881, 882, 883, बगाईधी कछार, परगना कछार, तहसील-सदर, जनपद-कानपुर।
ख	परियोजना का विवरण	:- • आवासीय/कामर्शियल भूखण्ड विकास परियोजना में कुल भूमि क्षेत्रफल – 30448.03 वर्ग मीटर। • आवासीय/कामर्शियल भूखण्ड विकास कार्य हेतु क्षेत्रफल – 16866.01 वर्ग मीटर।
ग	मुख्य कच्चा माल	:- आवासीय/कामर्शियल भूखण्ड निर्माण।
घ	कुल घरेलू उत्प्रवाह की मात्रा	:- 66 कि0ली0/दिन।
ङ	प्रयुक्त ईंधन	:- एच.एस.डी. (आवश्यकतानुसार) (10 के0वी0ए0 01 नग डी0जी0 सेट हेतु)

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2 आवासीय/कामर्शियल भूखण्ड परियोजना में सभी आवश्यक यंत्र, संयन्त्र, ड्रेन, पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयन्त्र तथा वायु प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक निरन्तर प्रेषित करें।

3. परियोजना के क्रियान्वयन से जनित होने वाले सम्भावित ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन, हस्तान एवं निस्तारण Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 के प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4. परियोजना का कार्य समाप्त होने के उपरान्त प्रयोग तब तक प्रारम्भ नहीं करें, जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु परियोजना के विकास कार्य पूर्ण होने से कम से कम 02 माह पूर्व निवेश मित्र योजना के अन्तर्गत आन लाइन आवेदन आवश्यक शुल्क के साथ किया जाये; यदि परियोजना उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है, तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजना के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

5. प्रस्ताव के अनुसार परियोजना स्वामी द्वारा घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु 98 कि0ली0/दिन सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का प्रस्ताव बोर्ड से अनुमोदनोपरान्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की स्थापना की जाये तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत उत्प्रवाह का यथासंभव पुनः प्रयोग गार्डनिंग, बागबानी एवं फ्लशिंग आदि में किया जाये। शुद्धीकृत उत्प्रवाह का निस्तारण किसी भी दशा में गंगा नदी में न किया जाये।

6. परियोजना से जनित घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु 98 कि0ली0/दिन सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावानुसार परियोजना में भूखण्ड विकास कार्य किया जाना है। अतः परियोजना से जनित घरेलू उत्प्राह के शुद्धिकरण हेतु सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की स्थापना परियोजना स्वामी द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7. मै0 रतन होम्स प्रा0 लि0, आराजी सं0 862, 864, 880, 881, 882, 883, बगदौधी कछार, परगना जाजमऊ, तहसील सदर, जनपद–कानपुर द्वारा प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार भूखण्ड विकास परियोजना में कुल भूमि क्षेत्रफल 30446.03 वर्ग मीटर है, जिसमें 16566.01 वर्ग मीटर पर भूखण्ड विकास कार्य हेतु यह अनापत्ति प्रमाण पत्र मान्य है।

8. प्रस्तावित 10 के0वी0ए0–01 नग डी0जी0 सेट पर ध्वनि/वायु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुरूप निर्धारित मानकों की प्राप्ति सुनिश्चित की जाये। डी0जी0 सेट से सम्बद्ध चिमनी की ऊँचाई केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, नई दिल्ली की गाईड लाईन के अनुसार स्थापित की जाये तथा डी0जी0 सेट की स्थापना परियोजना परिसर में उपयुक्त स्थल पर की जाये, जिसके संचालन से निकटतम आबादी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना न रहे।

9. प्रस्तावित आवासीय परियोजना से जनित होने वाले नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित किया जाये।

10. परियोजना विकास के दौरान विभिन्न कान्सट्रक्शन एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट, कच्चे माल की लोडिंग/अन लोडिंग, जनरेटर्स आदि के संचालन से उत्पन्न होने वाले सम्भावित धूल/गैसीय उत्सर्जन/ध्वनि/मृदा/जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं का समुचित संचालन सुनिश्चित किया जाये ताकि परियोजना निर्माण के दौरान आस–पास के क्षेत्र में डस्ट उत्सर्जन से वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न न हो।

11. केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार से भूगर्भ जल दोहन हेतु आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये तथा अनुमति की एक प्रति बोर्ड को प्रेषित की जाये।

12 यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

13 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 1533 दिनांक 14.09.06 यथासंशोधित के प्राविधानों का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

14 प्रस्तावित आवासीय परियोजना में भूगर्भ जल निदेशालय द्वारा भवन छत के क्षेत्रफल के अनुसार जारी गाईड लाईन के अनुरूप रूफ टॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की स्थापना की जाये।

15 कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर द्वारा स्वीकृत मानचित्र की प्रति इस कार्यालय को एक माह के अन्दर प्रेषित किया जाना तथा स्वीकृत मानचित्र में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, डी0जी0 सेट्स आदि का स्थापना स्थल दर्शाया जाना सुनिश्चित करें तथा स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही भूखण्ड विकास के उपरान्त उपरोक्त वर्णित व्यवस्थाऐं स्थापित की जाये।

16 प्रस्तावित आवासीय/कामर्शियल भूखण्ड परियोजना में कानपुर विकास प्राधिकरण के बायलॉज के अनुसार हरित पट्टिका का विकास किया जाये।

17 प्रस्तावित आवासीय/कामर्शियल भूखण्ड परियोजना में किसी भी प्रकार के परिवर्तन से पूर्व बोर्ड से जल/वायु अधिनियमों के अन्तर्गत पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अधिसूचित अधिसूचना संख्या एस0ओ0--1533 दिनॉक 14.09.06 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का भली भांति एवं समयबद्धता से अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तो मे संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाये। उपर्युक्त विशिष्ट एव सामान्य शर्तो के सम्बन्ध मे आवासीय/कामर्शियल भूखण्ड परियोजना द्वारा इस कार्यालय में दिनांक <u>31-07-2017</u> तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाये तथा प्रगति आख्या नियमित प्रेषित की जाये।

भवदीय,

(डॉ0 मो0 सिकन्दर)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0स0 एवं तद दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि-मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी